तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 06/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
3.8.2022	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल पप्पू पुत्र पुराराम, जाति– हीरागर, निवासी– झूपाघाट, सिरोही उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने यह अनुरोध किया कि वह गरीब व्यक्ति है एवं मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल पप्पू पुत्र पुराराम, जाति– हीरागर, निवासी– झूपाघाट, सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरोही में राजस्थान सार्वजनिक धुत (जुआं) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुये, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय पत्रावली पर अपराध संख्या 33/20.1.2022 व 67/18.2.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 33/20.1.2022 व 67 दिनांक 18.2.2022 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 19.2.2022 व 23.2.2022 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल पप्पू पुत्र पुराराम, जाति– हीरागर, निवासी– झूपाघाट, सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि [illegible] के तहत राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार [illegible] स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश [illegible] स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही को प्रेषित की जावे। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:04 IST
Reason: SelfAttested